इंटरनेट पर देखें
www.dainikdawa.com

संस्कारधानी से प्रकाशित मध्यभारत व छत्तीसगढ़ अंचल का सर्वप्रसारित लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र

भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन से विज्ञापन के लिए अधिकृत

दैनिक प्रातः संस्करण

"यो आत्मानं वेति, सर्वं स वेति"।।

आर.एन.आई.नं. 58841/93
डाक पंजीयन छ.ग./दुर्ग/14/2024-26

दावा

सम्पादक - दीपक कुमार बुद्धदेव

वर्ष- 44 | अंक - 232 | राजनांदगांव, गुरूवार 10 जुलाई 2025 | पृष्ठ - 8 | मूल्य - 4.00 रुपए

गुजरात में पुल टूटा, चलती गाड़ियां नदी में गिरी, 10 लोगों की मौत

8 लोगों की बचाई जान; दक्षिण गुजरात का सौराष्ट्र से संपर्क टूटा

वडोदरा। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने की घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में अब तक 10 लोगों की जान चली गई है। हादसे में नौ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस अधीक्षक (वडोदरा ग्रामीण) रोहन आनंद ने बताया कि बचाए गए नौ लोगों में से पांच का वडोदरा शहर के सरकारी एसएसजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। पुल का 10 से 15 मीटर लंबा स्लैब सुबह करीब 7.30 बजे ढहा था।

दो ट्रक, दो वैन, एक ऑटो रिक्शा और एक दोपहिया वाहन नदी में गिरे

वडोदरा के कलेक्टर अनिल धमेलिया ने बताया कि पुल ढहने के बाद कम से कम आधा दर्जन वाहन दो ट्रक, दो वैन, एक ऑटोरिक्शा और एक दोपहिया वाहन नदी में गिर गए। नदी में गिरने के बेहद करीब पहुंचे दो अन्य वाहनों को

खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

मरने वाले 10 लोगों में से दो भाई-बहन

पुलिस के मुताबिक, मरने वाले 10 लोगों में से दो भाई-बहन थे, एक दो साल का लड़का और उसकी चार साल की बहन। ज्यादातर मृतक वडोदरा और आणंद जिलों के निवासी थे।

पीएम नरेन्द्र मोदी और सीएम भूपेन्द्र पटेल ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम ने हर मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और सीएम ने चार लाख रुपये मुआवजे का एलान किया। इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ङ्ग पर कहा, गुजरात के वडोदरा जिले में एक पुल के ढहने से हुई जान-माल की हानि बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

राजस्थान में बड़ा विमान हादसा : चूरू में वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश, बिखरे मिले शव के टुकड़े

नई दिल्ली। राजस्थान से बड़ी खबर है। चूरू में बुधवार को बड़ा विमान हादसा हो गया। भारतीय वायु सेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। विमान का मलबा बिखरा पड़ा है। मलबे के पास से शव के टुकड़े भी मिले हैं। हादसा राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भाणूदा में हुआ।

तेज धमाका सुनकर पहुंचे ग्रामीण

भाणूदा में जिस जगह लड़ाकू विमान गिरा, वहां बड़ा गड्ढा हो गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ पहुंची। शव के अलग-अलग टुकड़े मिले। प्लेन के मलबे पर जगुआर लिखा हुआ दिख रहा है। चारों तरफ फाइटर जेट जगुआर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। सूचना मिलते ही राजलदेसर थाना पुलिस पहुंची। शव के पहचान की प्रक्रिया की जा रही है। कलेक्टर अभिषेक सुराना और स्थानीय पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं। सेना की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है, ताकि घटनास्थल को सील कर जांच शुरू की जा सके।

हमदाबाद में हुआ था बड़ा हादसा

बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार (12 जून) को बड़ा हादसा हुआ था। एअर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा था। हादसे में 241 पैसेंजर्स सहित 275 लोगों की मौत हुई थी। विमान में 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं। सिर्फ एक यात्री की जान बची है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद लगातार विमानों पर मुसीबत आ रही है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

शराब घोटाले के 29 आरोपी में से 22 आबकारी अधिकारी एक साथ होंगे सस्पेंड! आज निकल सकता है निलंबन आर्डर...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में 22 एक्साइज अफसर एक साथ निलंबित हो सकते हैं। आबकारी विभाग इस संबंध में जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। शराब घोटाले की जांच कर रही ईओडब्लू ने 7 जुलाई को 2200 पेज का चौथा पूरक चालान कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने इसमें आबकारी विभाग के 29 आरोपियों को अभियुक्त बनाया है। इनमें सात रिटायर हैं, जबकि, सात अभी भी जिलों में पोस्टेड हैं।

स्पेशल कोर्ट में चालान पेश करने से पहले इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने नोटिस जारी की गई थी, मगर इनमें से कोई भी चालान पेश करने के वक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न रिटायर अफसर पहुंचे और न वर्तमान अधिकारी। जबकि, नियमानुसार चालान पेश करने के दौरान जिन आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की सूचना दी जाती है, उन्हें इस पर अमल करना अनिवार्य होता है।

जेल जाने के डर से नहीं पहुंचे कोर्ट

ईओडब्लू ने शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, सरकारी शराब कंपनी के एमडी अरूणपति त्रिपाठी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, कारोबारी विजय भाटिया सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से अधिकांश को जमानत नहीं मिली है। लिहाजा, 29 आबकारी अधिकारियों को भी लगा कि कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा या फिर ईओडब्लू रिमांड मांग लेगी। हालांकि, जेल जाने पर वे अपने आप सस्पेंड होते। मगर कोर्ट में पेश न होने से वे अब सरकार की नोटिस में आ गए हैं।

आबकारी विभाग के सूत्रां से पता चला है कि 29 में से 22 अभी भी सरकार में हैं, सो उन्हें अब निलंबित किया जाएगा।

जानिये क्या है शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से लेकर 2023 तक एफएल-10 नियम बनाकर बिचौलियों के माध्यम से शराब की खरीदी शुरू हुई थी। उस समय सरकारी दुकानों से संगठित रूप से अवैध शराब भी बेची गई। ये 29 आरोपी अधिकारी उन 15 बड़े जिलों में जिला प्रभारी अधिकारी या अन्य पदों पर कार्यरत थे, जहां अन-एकाउंटेंड बिना ड्यूटी पेड शराब की ब्रिक्री शासकीय शराब दुकानों में ड्यूटी पेड शराब के समानांतर की गई। कुछ अधिकारी इस अवैध शराब बिक्री के लिए राज्य स्तर पर समन्वय का कार्य करते थे।

15 जिलों में सबसे अधिक खेल

जांच पर मिले तथ्यों के आधार पर राज्य स्तर पर बस्तर और सरगुजा संभाग को छोड़कर, 15 ऐसे बड़े जिलों का चुनाव किया गया था, जिसमें देशी शराब की खपत अधिक थी। उन चिन्हित जिलों में ऐसे देशी शराब दुकान जिसमें शराब की खपत ज्यादा थी, उनमें आबकारी सिंडीकेट के निर्देश के मुताबिक डिस्टलरियों में अतिरिक्त शराब निर्माण कर ट्रकों में भरकर शराब सीधे चुने हुए जिलों के अधिक बिक्री वाले देशी शराब दुकानों में भेजे जाते थे। इस तरह की शराब को बिना किसी प्रकार का शासकीय शुल्क/ड्यूटी पटाये, नियमतः डिस्टलरी से वेयर हाऊस/शासकीय डिपो से मांग के आधार पर दुकानों में लायी गई वैध शराब के समानांतर बेची गई। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

छत्तीसगढ़ को मिला एक और सम्मानः डीएमएफ से संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिए खान मंत्रालय ने किया सम्मानित

रायपुर। भारत सरकार के खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। बुधवार को नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक दिवसीय नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के सचिव और खनिज सचिव पी. दयानंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

खान मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना द्वारा नेशनल डीएमएफ पोर्टल में समस्त राज्यों के डीएमएफ से संबंधित डेटाबेस का संधारण किया जा रहा है। डीएमएफ के ऑडिट रिपोर्ट का राज्य डीएमएफ पोर्टल एवं नेशनल डीएमएफ पोर्टल में 90 प्रतिशत डेटाबेस पूर्णतः अपलोड किए जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और अन्य राज्यों को भी डेटा अपलोडिंग, पारदर्शिता और ज़मीनी क्रियान्वयन के अनुकरण की सलाह दी गई।

इसलिए आयोजित की गई कार्यशाला

उल्लखेनीय है कि, नेशनल डीएमएफ कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एवं डीएमएफ की प्रभावशीलता को बढ़ाने और खनन क्षेत्रों में सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से सचिव, संचालक एवं खनन प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना एवं (शेष पृष्ठ 6 पर...)

राजनीति से रिटायर होंगे अमित शाह?

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार अपने राजनीतिक रिटायरमेंट के बाद की योजना सार्वजनिक रूप से साझा की। बुधवार, 9 जुलाई को सहकार संवाद को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सियासत से सन्यास लेने के बाद वे अपना जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती को समर्पित करना चाहते हैं।

अमित शाह ने बुधवार को गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिला सहकारी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। अपने गांव और जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हुए स्लावलंबन की सीख दी। बताया, सहकारिता के जरिए कैसे व्यापक स्तर पर बदलाव लाए जा सकते हैं।

प्राकृतिक खेती का किया समर्थन

अमित शाह ने रासायनिक खेती के खतरों से अवगत कराया। कहा, फर्टिलाइजर वाले गेहूं से कैंसर, बीपी, डायबिटीज, थायरॉयड जैसी बीमारियां होती हैं। शुरुआत में समझ आता नहीं, लेकिन बाद में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। प्राकृतिक खेती न सिर्फ सेहत, बल्कि उत्पादन के लिए भी अच्छी है।

अमित शाह ने बताया कि एक गाय के गोबर से 21 एकड़ खेत के लिए जैविक खाद बनाना संभव है। उन्होंने दावा किया कि केचुएं किसी भी खाद के बराबर काम करते हैं। बताया कि मैंने प्राकृतिक खेती से 1.5 गुना तक उत्पादन प्राप्त किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक खेती के अनाज की खरीद के लिए कोऑपरेटिव बनाए हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी अलग कोऑपरेटिव बनाई गई हैं। कहा, 8-10 साल में अमूल की तर्ज पर प्राकृतिक उत्पादों के लिए टेस्टिंग और मुनाफे की व्यवस्था करेंगे। मध्य प्रदेश की रूचिका परमार ने बताया कि उनका समूह खाद और ऋण वितरण करता है। इससे सालाना 15 करोड़ की कमाई होती है। बताया कि हमारे समूह से 2508 महिलाएं जुड़ी हैं। गांव में हम लोग शादी घर बनाना चाहते हैं। इस पर अमित शाह ने जिला सहकारी बैंक से ऋृण दिलाने का आश्वासन दिया।

अरुणाचल सीमा पर वॉटर बम बना रहा चीन, सीएम ने जताई चिंता

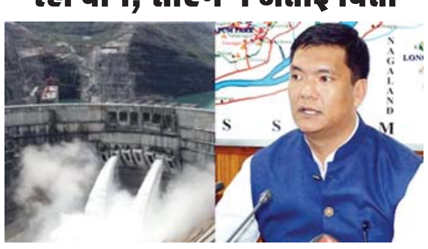

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा पर निर्माणाधीन जलविद्युत बांध पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गहरी चिंता जताई है। बुधवार, 9 जुलाई को उन्होंने PTI से बात करते हुए इसे वॉटर बम बताया। कहा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, नदी पारिस्थितिकी तंत्र और जनजातीय आजीविका के लिए यह बांध अस्तित्वगत खतरा है।

ब्रह्मपुत्र पर चीन का नियंत्रण, भारत के लिए जोखिम

मुख्यमंत्री खांडू ने यह भी कहा कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बना रहा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री खांडू ने आशंका जताई कि चीन ने अगर अचानक बांध से पानी छोड़ दिया तो पूरा सियांग क्षेत्र तबाह हो जाएगा। खांडू ने कहा, यह सिर्फ पर्यावरण या बाढ़ का मुद्दा नहीं है, बल्कि बड़े रणनीतिक खतरे की तरह है। चीन इसे 'वॉटर बम' की तरह उपयोग कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय संधियों से चीन बाहर क्यों?

सीएम खांडू ने PTI से चर्चा के दौरान एक अहम बिंदु उठाया। कहा, चीन ने अब तक किसी अंतरराष्ट्रीय जल-साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। जो उसे ब्रह्मपुत्र जैसी सीमा-पार नदियों के मामले में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी निभाने को बाध्य करे। मुख्यमंत्री खांडू ने आगे कहा कि चीन ने अगर जल समझौतों पर हस्ताक्षर किए होते तो ये परियोजना भी भारत और बांग्लादेश के लिए बाढ़ नियंत्रण में मददगार बनती। अरुणाचल सरकार (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पीएम मोदी ने की नामीबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात; चार अहम समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर

विंडहोक। भारत और नामीबिया के बीच बुधवार को चार अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा के बीच हुई बातचीत के बाद बताया गया। अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में ब्राजील से यहां पहुंचे पीएम मोदी ने स्टेट हाउस में राष्ट्रपति नंदी-नदैतवा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, जैव ईंधन और आपदा प्रतिरोधी सहित कई क्षेत्रों में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की तीसरी यात्रा है। राष्ट्रपति नंदी-नदैतवा के निमंत्रण पर (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया ने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज दिया है। पीएम मोदी को बुधवार को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से किसी विदेशी सरकार की ओर से उन्हें प्रदान किया गया यह 27वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

कस्टम मिलिंग घोटालाः ईओडब्लू ने टुटेजा और अनवर ढेबर को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्लू ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को विशेष अदालत में पेश कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें पूछताछ के लिए कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11, 13(1)(क), 13(2), भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली) एवं 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक

विश्वासभंग) के तहत केस दर्ज किया है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उन कड़ियों को जोड़ा जाएगा। जिनके माध्यम से इस घोटाले की रकम का प्रवाह हुआ। इसके साथ ही अन्य संभावित लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।